**भारत सरकार**

**श्रम और रोजगार मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या- 1869**

**गुरूवार, 17 मार्च, 2022/26 फाल्गुन, 1943 (शक)**

**कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी**

**1869. श्री संजय सिंहः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कार्यबल में महिलाओं की राज्य-वार भागीदारी कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत मात्र 9 प्रतिशत है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा देश में कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**श्रम और रोजगार राज्य मंत्री**

**(श्री रामेश्वर तेली)**

(क) से (घ): रोजगार एवं बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किए जाने वाले आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से इकट्ठे किए जाते हैं। वर्ष 2019-20 की नवीनतम उपलब्ध पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार पर **15** वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के अनुमानित महिला कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार (उत्तर प्रदेश राज्य सहित) ब्यौरा अनुबंध पर दिया गया है।

सरकार ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी एवं उनके रोजगार की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए हैं। महिला कामगारों के लिए समान अवसर तथा कार्य का अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु श्रम कानूनों में अनेक सुरक्षात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं। इनमें सवेतन प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना, 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा के प्रावधानों का उपबंध, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति प्रदान करना आदि शामिल हैं।

खुली खदान सहित भूमि के ऊपरी खदानों में महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच और भूमिगत खदानों में तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्यों में सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच काम करने की अनुमति प्रदान की गई है, जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं हो।

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 को अब मजदूरी संहिता, 2019 में शामिल कर लिया गया है जो व्यवस्था करता है कि समान नियोक्ता द्वारा मजदूरी से संबंधित मामलों में लिंग के आधार पर कर्मचारियों के बीच किसी प्रतिष्ठान या किसी भी इकाई में किसी कर्मचारी द्वारा किए गए समान कार्य या समरूप प्रकृति के कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रोजगार की स्थिति में समान कार्य  या समान प्रकृति के कार्य के लिए किसी भी कर्मचारी की भर्ती करते समय लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि जहां इस तरह के कार्य में महिलाओं का रोजगार उस समय प्रवर्तित किसी भी कानून द्वारा उसके तहत प्रतिबंधित अथवा निषिद्ध हो।

महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए, सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

*****

अनुबंध

राज्य सभा के दिनांक 17.03.2022 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1869 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2019-20 के लिए 15 वर्ष और उससे अधिक के आयु वर्ग के लिए सामान्य स्थिति के अनुसार राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रवार अनुमानित महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) (प्रतिशत में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | महिला डब्ल्यूपीआर |
|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 37.6 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 20.8 |
| 3 | असम | 14.2 |
| 4 | बिहार | 9.4 |
| 5 | छत्तीसगढ | 52.1 |
| 6 | दिल्ली | 14.5 |
| 7 | गोवा | 24.9 |
| 8 | गुजरात | 30.7 |
| 9 | हरियाणा | 14.7 |
| 10 | हिमाचल प्रदेश | 63.1 |
| 11 | झारखंड | 35.2 |
| 12 | कर्नाटक | 31.7 |
| 13 | केरल | 27.1 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 37.2 |
| 15 | महाराष्ट्र | 37.7 |
| 16 | मणिपुर | 26.8 |
| 17 | मेघालय | 44.1 |
| 18 | मिजोरम | 34.9 |
| 19 | नागालैंड | 31.1 |
| 20 | ओड़िशा | 31.8 |
| 21 | पंजाब | 21.8 |
| 22 | राजस्थान | 37.6 |
| 23 | सिक्किम | 58.5 |
| 24 | तमिलनाडु | 38.3 |
| 25 | तेलंगाना | 41.8 |
| 26 | त्रिपुरा | 23.5 |
| 27 | उत्तराखंड | 30.1 |
| 28 | उत्तर प्रदेश | 17.2 |
| 29 | पश्चिम बंगाल | 23.1 |
| 30 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 25.9 |
| 31 | चंडीगढ़ | 18.8 |
| 32 | दादरा और नगर हवेली | 52.3 |
| 33 | दमन और दीव | 34.8 |
| 34 | जम्मू और कश्मीर | 33.1 |
| 35 | लद्दाख | 51.1 |
| 36 | लक्षद्वीप | 23.1 |
| 37 | पुड्डुचेरी | 28.4 |
| | अखिल भारत | **28.7** |

स्रोत: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), जुलाई 2019- जून 2020, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।